न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—176/2018/223 (2018/00176)

1. मदनसिंह पुत्र बुद्धा रावत, निवासी ग्राम सेदरिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. घीसा उर्फ घीसासिंह पुत्र पांच उर्फ पांचू, जाति रावत, नि0 ग्राम सेदरिया तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, दिनांक 01.06.2017 अंतर्गत वाद संख्या 34/2014.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 08.05.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा सेदरिया, तहसील ब्यावर में स्थित आराजी खसरा नंबर 938 रकबा 8 बिस्वा, 970 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 971 रकबा 2 बिस्वा, 973/2 रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 974/2 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी अवस्थित है । उपरोक्त आराजी में से खसरा नंबर 938 की संपूर्ण भूमि तथा शेष भूमियों में 1/2 हिस्सा वादी तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का चला आ रहा है तथा उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1

काबिज काश्त चले आ रहे है । खसरा परिवर्तनशील संवत 2052 में भी वादी का नाम प्रतिवादी संख्या 1 के साथ चला आ रहा हे तथा इसके आसपास की अन्य भूमियां वादी के खातेदारी में है लेकिन उक्त आराजी को वादी के नाम खातेदारी में अंकित करने के बजाय सिवायचक के रूप में ही रही है जबकि कानूनन वादी को खातेदारी हक प्राप्त हो चुके है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2017 को वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांट अभिभाषक एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली को वास्ते तनकीयात कायम हेतु दिनांक 1.9.2015 से नियत चली आ रही थी लेकिन कोई तनकीयात कायम नहीं की गई तथा बिना साक्ष्य व सुनवाई के ही वाद को खारिज कर दिया गया । बहस में आगे कथन किया कि राजस्व लोक अदालत में रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से राजस्थान सरकार के पेरोकार उपस्थित होना दर्ज कर बहस सुनकर वाद को खारिज कर दिया जबकि उन्होंने अपनी पत्रावली जो कायम तनकीयात में रखी हुइ थी वादी को कोई सूचना नहीं दी और अगर वाद उपस्थित नहीं था तो प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा सकता था लेकिन गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था । विवादित आराजी पर वादी का पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । स्वंय अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह माना हे कि संवत् 2052 खसरा परिवर्तनशील के आधार पर बतोर कबजा काश्त होना स्वीकार किया है फिर भी उनका यह मानना कि कब्जे के अभाव में वादी को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । वादी का प्रकरण ही आराजी को गलत रूप से सिवायचक दर्ज करने के आधार पर पेश किया है इसलिये वादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आराजी को सिवायचक मानकर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विवादित भूमि पर अपीलांट का 30–35 वर्ष पुराना कब्जा काश्त होने से वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांट/वादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना वाद खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वाद गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के द्वारा पत्रावली को दिनांक 24.5.2017 को राजस्व कैम्प में नियत कर दी गई जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं दी गई तथा राजस्थान सरकार की बहस सुनकर वाद को खारिज कर दिया जिससे प्रार्थी को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । अभी हाल ही में दिनांक 4.6.2018 को अपने अभिभाषक से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उक्त वाद को राजस्व कैम्प में खारिज कर दिया गया है तब प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन कर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की तथा अभिभाषक से कानूनी सलाह लेकर जानकारी से

अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर वादी का निरन्तर कब्जा काश्त दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया गया है । वैसे भी कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान नियमों में नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने वादी का वाद विधिसम्मत् रूप से निर्णित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निर्णित करनो उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प नून्द्री मालदेव में दिनांक 1.6.2017 को निर्णित किया है। अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने दिनांक 24.6.2015 को उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा सिवायचक भूमि की खातेदारी चाहता है, दस्तावेज साक्ष्य अपूर्ण है, वाद खरिज योग्य है । उक्त तिथि को अधी0न्याया0 ने वाद वास्ते कायम तनकियात हेतु दिनांक 1.9.2015 नियत की तत्पश्चापत् पत्रावली लगभग 9 पेशियों तक कायम तनकियात में चलती रही है । दिनांक 24.5.2017 की आदेशिका अनुसार पत्रावली कैम्प नून्द्री मालदेव में दिनांक 1.6.2017 को रखी जाने तथा पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये । उक्त आदेश की पालना में वादी/अपीलांट को कैम्प कोर्ट नून्द्री मालदेव में उपस्थित होने के जारी नोटिस अपीलांट को तामील होने के संबंध में नोटिस पर कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है तथा अधी0न्याया0 ने दिनांक 1.6.2017 को ही प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की उपस्थिति में वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है । जब वाद तनकियात कायम करने हेतु नियत था तो अधी0न्याया0 को वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना वाद को एकतरफा में खारिज किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हम विद्वान वकील अपीलांट के इस कथन से भी सहमत है कि वादी/अपीलांट के अनुपस्थित रहने की स्थिति में अधी0न्याया0 ज्यादा से ज्यादा वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में निरस्त कर सकते थे किन्तु अधी0न्याया0 ने वादी के वाद को विधिक प्रक्रिया अपूर्ण रहते वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2017 निरस्त की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित

की जाती है कि वे वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 8.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर